रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 170] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 1972/आषाढ़ 30, 1894

No. 170] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 1972/ASADHA 30, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 21st July 1972

SUBJECT.—*Revision in the rate of conversion of sterling into Rupees consequent upon floatation of pound sterling with effect from 23rd June*, 1972.

No. 108-ITC(PN)/72.—Attention is invited to Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated the 28th January, 1972 regarding the method of calculation of new composite rate in respect of foreign currencies consequent on the monetary changes with effect from 20th December, 1971.

2. It was notified in that Public Notice that the London rates expressed in pound sterling should first be converted into rupees by applying a rate of conversion for sterling into rupees at a fixed rate of exchange namely £ sterling 5.2392—Rs. 100 (Bank's B. C. Selling rate of sterling in India).

3. Consequent on the floatation of £ sterling with effect from 23rd June, 1972 the rate of conversion of sterling into rupees has undergone a change. The rates of exchange to be adopted are:—

(a) £ (St.) 5.2430=Rs. 100 for the period 26th June, 1972 to 3rd July, 1972.

(b) £ (St.) 5.2850=Rs. 100 from 4th July, 1972 onwards.

These revised rates of exchange should be adopted with effect from the dates indicated above, until further orders, for calculation of now composite rates. Other provisions contained in the Public Notice No. 15 ITC(PN)/72, dated 28th January, 1972 regarding calculation of new composite rate, change in the value of import licence, responsibility of importers etc. will continue to apply.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 21 जुलाई 1972

विषय : 23-6-1972 से पौंड स्टर्लिंग में घटाव-बढ़ाव के परिणाम स्वरुप स्टर्लिंग को रुपए में परिवर्तन करने की दर में संशोधन ।

सं० 108-आई० टी० सी० (पी एन)/72.—20 दिसम्बर, 1971 से मौद्रिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्राओं के लिए नई मिश्रित दर की संगणना करने के तरीके से सम्बन्धित विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनकि सूचना संख्या 15-आईटीसी(पीएन)/72, दिनांक 28 जनवरी, 1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. उस सार्वजनिक सूचना में यह अधिसूचित किया गया था कि पौंड स्टर्लिंग में प्रकट की गई लन्दन दरें पहले रुपयों में परिवर्तित कर लेनी चाहिए, यह मुद्रा विनिमय की स्थिर दर पर रुपयों में स्टर्लिंग के लिए परिवर्तन की दर अर्थात् पौंड स्टर्लिंग 5.2392-रुपये 100 (बैंकों की बी०सी० बेचने की भारत में स्टर्लिंग की दर) लागू करके परिवर्तित की जानी चाहिए ।

3. 23-6-1972 से पौंड स्टर्लिंग में घटाव-बढ़ाव के परिणाम स्वरूप स्टर्लिंग को रुपयों में परिवर्तन करने की दर में परिवर्तन हो गया है । मुद्रा विनिमय की अपनायी जाने वाली दरें ये हैं :—

(क) पौंड (स्टर्लिंग) 5.2430-रुपए 100-26 जून, 1972 से 3 जुलाई, 1972 तक की अवधि के लिए ।

(ख) पौंड (स्टर्लिंग) 5.2850=रुपए 100–4 जुलाई, 1972 से आगे। नई मिश्रित दरों की संगणना के लिए मुद्रा विनिमय की ये संशोधित दरें ऊपर निर्दिष्ट की गई तिथियों से तब तक अपनाई जानी चाहिए। जब तक अगला आदेश जारी नहीं हो जाता। सार्वजनिक सूचना सं० 15–आईटीसी(पीएन)/72, दिनांक 28 जनवरी, 1972 में निहित नई मिश्रित दर की संगणना, आयात लाइसेंस के मूल्य में परिवर्तन, आयातकों का उत्तरदायित्व आदि से सम्बन्धित अन्य धारा लागू रहेंगी।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972